

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्राथी/वादी

गेशराम


कसम प्रकरण : राजस्व वादपत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

सरकार जरिये तहरीलदार

मुकदमा नं. 195 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
.11.2025	<p>वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वादपत्र हाजा को जरिये विज्ञॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। प्रकरण हाजा प्रतिवादी पक्षकार के जवाब में विचाराधीन है। वकील वादी ने वादपत्र में प्रारूपिक त्रुटिया रह जाने तथा आवश्यक सहायक दस्तावेज महत्वपूर्ण तथ्य उक्त वादपत्र में अंकित होने से रह जाने से नया वादपत्र प्रस्तुत की जाने की अनुमति के साथ वादपत्र हाजा को जरिये विज्ञॉल खारिज किये का निवेदन किया।</p> <p>अतः प्रार्थी का विज्ञॉल प्रार्थना पत्र नया वाद प्रस्तुत की जाने की अनुमति के साथ वादी का वादपत्र अधीन धारा 88 आरटीएक्ट 1955 जरिये विज्ञॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड (दिव्यासोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	